निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 139/दावा/19 तारीख दायरा 20.12.19

ऑनलाइन प्रकरण संख्या 00171/2019

उनवान

1. भुलीबाई पुत्री रत्ता जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
2. देवीसिंह पिता रत्ता जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना

–वादीगण

बनाम

1. नारायण सिंह पिता कंवरलाल जाति तंवर निवासी पहाडपुरा
2. प्रकाश पिता प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
3. नाहर सिंह पिता गंगाराम जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
4. बन्ने सिंह पिता गंगाराम जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
5. सुन्दरबाई पत्नी नारायण सिंह जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
6. कमलेश पिता नारायण सिंह जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना

–

प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 24.06.2022

परिस्थित वकील वादीगण – श्रीमती ममता लोधा

त्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रार्थना त्र अन्तर्गत धारा 183 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम हाडपुरा पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 70 रानी 54 की खसरा नम्बर 263 की 15 बिस्वा, 546 की 3 बीघा 7 बिस्वा कुल 2 किता 4 बीघा 2 बिस्वा आराजी मुझ वादीगण एवं अन्य खातेदारान के शामिल खाते की दर्ज । वर्णित आराजी मुझ वादनी एवं अन्य सहखातेदारान के भाामिल खाते में है तथा उक्त राजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 ने जबरन बल पूर्वक नाजायज रूप से उक्त आराजी अर्सा 2 साल पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है जो बेहैसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने ग्य है। वर्णित आराजी वादनी एवं अन्य सह खातेदारान के भाामिल में है तथा तेवादीगण 1 लगायत 6 के खाते में भी प्रतिवादीगण का नाम नही है फिर भी तेवादीगण 1 लगायत 6 ने उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है जो बेहैसियत तेक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। वर्णित आराजी पर से मुझ वादनी ने प्रतिवादीगण 1 ायत 6 से कब्जा हटाने बाबत कई बार कहा अन्तिम बार दिनांक 25.11.2019 को मुझ दनी ने प्रतिवादीगण से कब्जा छोडने बाबत कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा छोडने साफ इन्कार हो जाने से वाद उत्पन्न हुआ हैं। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 6 को उक्त र्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादीगण को संभलाया जावे। इस शय बाबत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण का कथन है कि ग्राम पहाडपुरा पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 70 पुरानी 54 की खसरा नम्बर 263 की 15 बिस्वा, 546 की 3 बीघा 7 बिस्वा कुलं 2 किता की 4 बीघा 2 बिस्वां आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 जबरन कब्जा कर रखा है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 6 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादीगण को संभलाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादीगण की खातेदारी आराजी है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा बहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम पहाडपुरा संवत 2071–74 की खाता संख्या नया 70, पुराना 54 पेश किया गया है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पहाडपुरा पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 70 पुरानी 54 की खसरा नम्बर 263 की 15 बिस्वा, 546 की 3 बीघा 7 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 2 बिस्वा आराजी की पैमाइश कर बाद पैमाइश यदि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का क़ब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण 1 ता 6 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर क़ब्जा आराज़ी नापकर वादीगण को संभलाया जावे। डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री अभि[illegible] आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

डिक्री मुकद्मात इब्तदाई
(ऑ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

तारीख दायरा 20.12.19

प्रकरण संख्या 139/दावा/19
ऑनलाइन प्रकरण संख्या 00171/2019

उनवान

1 भुलीबाई पुत्री रत्ता जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
2 देवीसिंह पिता रत्ता जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

1 नारायण सिंह पिता कंवरलाल जाति तंवर निवासी पहाडपुरा
2 प्रकाश पिता प्रेमसिंह जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
3 नाहर सिंह पिता गंगाराम जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
4 बन्ने सिंह पिता गंगाराम जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
5 सुन्दर बाई पत्नी नारायण सिंह जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना
6 कमलेश पिता नारायण सिंह जाति तंवर निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना

– प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

ाज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण** (आर0ए0एस0) हाजरी वकील वादी श्रीमति ममता लौधा मिन जानिब मुद्दालय ––––––––– ने पेश ाकर आदेश दिया जाता है कि:–

ऽ ग्राम पहाडपुरा पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या या 70 पुरानी 54 की खसरा नम्बर 263 की 15 बिस्वा, 546 की 3 बीघा 7 बिस्वा कुल 2 ऽता की 4 बीघा 2 बिस्वा आराजी की पैमाइश कर बाद पैमाइश यदि उक्त आराजी पर तिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण 1 ता 6 को उक्त वर्णित आराजी से दखल कर कब्जा आराजी नापकर वादीगण को संभलाया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड